Title: Election of 15 Members from Lok Sabha and 07 Members from Rajya Sabha to the Committee on Public Undertakings.

श्री शान्ता कुमार (कांगड़ा) : महोदया, मैं निम्नतिखित प्रस्ताव पेश करता हूं:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के पूर्क्या तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2016 से शुरू होने वाली और 30 अपूँल, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपकृमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्दूह सदस्य निर्वाचित करें।"

HON. SPEAKER: The question is:

"That the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (1) of rule 312B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, fifteen members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Public Undertakings for the term beginning on the 1st May, 2016 and ending on the 30th April, 2017."

The motion was adopted.

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष महोदया, मैं पूरताव करता हुंः-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2016 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी सिमित के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस पूकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें। "

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate seven members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Undertakings for the term beginning on the 1st May, 2016 and ending on the 30th April, 2017 and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha."

The motion was adopted.